

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं० : 487 सन 2020

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र मोमनराम जाति सैनी निवासी वार्ड संख्या 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. मोमनराम पुत्र पन्नाराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
2. किशन पुत्र मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
3. देवीलाल पुत्र मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
4. सन्तोष पुत्री मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
5. सीतादेवी पुत्री मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
6. सरोज पुत्री मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 की कुल 2.0240 हैक एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 146/131 की कुल 7.8030 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्ध हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिय अधिवक्ता न्यायालय में उपरिथत आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निरस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 की कुल 2.0240हेक् एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 146/131 की कुल 7.8030हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्ध हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1,4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज-615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों का स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 की कुल 2.0240हेक् एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 146/131 की कुल 7.8030हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्बन्ध 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के नाम से दर्ज है वादी के दादा पन्नाराम वल्द लेखु, लेखू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना

उपरोक्त प्रतिवादी साक्ष्यित है।
01/02


हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पीते/पीतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिय के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काविल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोपणा की जाती है कि वादी सुभाष के पास रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 के प0न0 327/427(16) किला न0 16/1 की 0.025हैक् गै0मु0 रास्ता 16/2 की 0.2280 ,25/1 की 0.025हैक् गै.मु.रास्ता 25/2 की 0.2280हैक् प0न0 337/428(27) किला न0 5/1 की 0.0187हैक् गै.मु.रास्ता 5/2 की 0.0150हैक् नहरी कुल 0.6747हैक् भूमि नहरी 0.606हैक् नहरी 0.0687हैक् गै.मु.रास्ता की भूमि रहेगी , प्रतिवादी संख्या 2 किशन के पास रोही मौजा 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 के प0न0 338/427(17) किला न0 20 ,21/0.506 ,प0न0 338/428(26) के किला न0 1/1 की 0.1686हैक् कुल 0.6746हैक् बाराणी भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 3 देवीलाल के पास रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 के प0न0 337/428(27) के किला न0 5/3 की 0.0780हैक् किला न0 5/4 की 0.0063हैक् रास्ता व 6/1 की 0.025हैक् रास्ता 6/2 की 0.2280हैक् प0न0 328/428(26) के किला न0 1/2 की 0.0844हैक् किला न0 10/0.253हैक् भूमि रहेगी एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 146/131 की कुल 7.8030हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिय के खातेदार काश्तकार धोपित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल भिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/09/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकांशिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र मोमनराम जाति सैनी निवासी वार्ड संख्या 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोमनराम पुत्र पन्नाराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
2. किशन पुत्र मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
3. देवीलाल पुत्र मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
4. सन्तोष पुत्री मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
5. सीतादेवी पुत्री मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
6. सरोज पुत्री मोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 487 सन 2020 निर्णय दिनांक- 18/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी सुभाष के पास रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 के प0न0 327/427(16) किला न0 16/1 की 0.025हैक् गै0मु0 रास्ता 16/2 की 0.2280, 25/1 की 0.025हैक् गै.मु.रास्ता 25/2 की 0.2280हैक् प0न0 337/428(27) किला न0 5/1 की 0.0187हैक् गै.मु.रास्ता 5/2 की 0.0150हैक् नहरी कुल 0.6747हैक् भूमि नहरी 0.606हैक् नहरी 0.0687हैक् गै.मु.रास्ता की भूमि रहेगी, प्रतिवादी संख्या 2 किशन के पास रोही मौजा 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 के प0न0 338/427(17) किला न0 20, 21/0.506, प0न0 338/428(26) के किला न0 1/1 की 0.1686हैक् कुल 0.6746हैक् वारानी भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 3 देवीलाल के पास रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 के प0न0 337/428(27) के किला न0 5/3 की 0.0780हैक् किला न0 5/4 की 0.0063हैक् रास्ता व 6/1 की 0.025हैक् रास्ता 6/2 की 0.2280हैक् प0न0 328/428(26) के किला न0 1/2 की 0.0844हैक् किला न0 10/0.253हैक् भूमि रहेगी एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 146/131 की कुल 7.8030हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज में वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रुल 6-7 जाचा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुभाषचन्द्र पुत्र गोमनराम जाति सैनी निवासी वार्ड संख्या 23 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोमनराम पुत्र पन्नाराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
2. किशन पुत्र गोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
3. देवीलाल पुत्र गोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
4. सन्तोष पुत्री गोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
5. सीतादेवी पुत्री गोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
6. सरोज पुत्री गोमनराम जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्थान नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 487 सन 2020 निर्णय दिनांक- 18/09/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी सुभाष के पास रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 के प0न0 337/427(16) किला न0 16/1 की 0.025हैक् गै0मु0 रास्ता 16/2 की 0.2280 ,25/1 की 0.025हैक् गै.मु.रास्ता 25/2 की 0.2280हैक् प0न0 337/428(27) किला न0 5/1 की 0.0187हैक् गै.मु.रास्ता 5/2 की 0.0150हैक् नहरी कुल 0.6747हैक् भूमि नहरी 0.606हैक् नहरी 0.0687हैक् गै.मु.रास्ता की भूमि रहेगी , प्रतिवादी संख्या 2 किशन के पास रोही मौजा 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 के प0न0 338/427(17) किला न0 20 ,21/0.506 ,प0न0 338/428(26) के किला न0 1/1 की 0.1686हैक् कुल 0.6746हैक् वारानी भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 3 देवीलाल के पास रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 100/98 के प0न0 337/428(27) के किला न0 5/3 की 0.0780हैक् किला न0 5/4 की 0.0063हैक् रास्ता व 6/1 की 0.025हैक् रास्ता 6/2 की 0.2280हैक् प0न0 338/428(26) के किला न0 1/2 की 0.0844हैक् किला न0 10/0.253हैक् भूमि रहेगी एवं रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 146/131 की कुल 7.8030हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वहीव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि वैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)